



कृषि विभाग, बिहार

क्रम संख्या	Frequently Asked Questions	Answer
पंजीकरण और अनुदान आवेदन से संबंधित		
1	किसान पंजीकरण कैसे करें ?	वैसे किसान जिनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है वे घर बैठे मोबाइल/लैपटाप या साइबर कैफे से पंजीकरण कर सकते हैं मोबाइल नंबर आधार से नहीं जुड़े होने पर किसी भी नजदीकी CSC/SAHAJ केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। किसान के पंजीकरण के जानकारी SMS से उनके आवेदन में दिये गए मोबाइल संख्या पर दी जाएगी।
2	किसान पंजीकरण के लिए किस वैबसाइट पर जाना होगा ?	dbtagriculture.bihar.gov.in
3	पंजीकरण पावती नहीं मिलने पर क्या करना होगा ?	dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध पंजीकरण मेनू क्लिक कर पावती प्रिन्ट कर सकते हैं जिसके लिए आधार या पंजीकरण संख्या अनिवार्य होगा।
4	पंजीकरण में गलत व्यक्तिगत जानकारी को सुधारने के लिए क्या करना होगा ?	dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध विवरण संपादित करें मेनू पर क्लिक करना होगा। जिसके लिए आधार या पंजीकरण संख्या एवं पंजीकृत मोबाइल संख्या अनिवार्य होगा।
5	पंजीकरण में गलत बैंकिंग जानकारी को सुधारने के लिए क्या करना होगा ?	dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध विवरण संपादित करें मेनू पर क्लिक करना होगा। जिसके लिए आधार या पंजीकरण संख्या एवं पंजीकृत मोबाइल संख्या अनिवार्य होगा।

6	पंजीकरण में मोबाइल संख्या को सुधारने के लिए क्या करना होगा ?	मोबाइल संख्या बदलने के लिए किसान के पास पुराना पंजीकृत मोबाइल संख्या होना अनिवार्य होगा। नए मोबाइल संख्या पर OTP के माध्यम से विवरण संपादित होगा। पुराना पंजीकृत मोबाइल संख्या उपलब्ध नहीं होने पर किसान अपने कृषि समन्वयक या सलाहकार से संपर्क करेंगे।
7	पंजीकरण के लिए जरूरत ?	आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट
8	आवेदन के लिए जरूरत क्या क्या हैं ?	पंजीकरण/आधार संख्या, जमीन का विवरण (खाता, खेसरा संख्या, रकवा)
9	अनुदान आवेदन के लिए क्या करना होगा ?	dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध अनुदान के लिए आवेदन मेनू पर क्लिक करें और अनुदान का प्रकार चयन करें। किसान अपने पंजीकरण संख्या या आधार संख्या की मदद से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
10	आवेदन पावती नहीं मिलने पर क्या करना होगा ?	dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध पंजीकरण मेनू क्लिक कर पावती प्रिन्ट कर सकते हैं जिसके लिए आधार या पंजीकरण संख्या अनिवार्य होगा।
11	आवेदन के Status कहाँ से प्राप्त करें ?	dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध पंजीकरण मेनू क्लिक कर आवेदन status प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आधार या पंजीकरण संख्या या आवेदन संख्या अनिवार्य होगा।
12	आवेदन पूर्ण रूप से अनुमोदनपरांत क्या होगा ?	आवेदन को बैंक के पास ई-कैश के लिए भेजा जाएगा एवं किसान को ई-कैश SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। अनुमोदनपरांत SMS 24 घंटे में प्राप्त नहीं होने पर किसान अपने कृषि समन्वयक/ज़िला कृषि पदाधिकारी को अविलंब सूचित करें।
13	ई-कैश क्या है ?	ई-कैश SMS के माध्यम से बैंक द्वारा दिया गया खाता संख्या है जिसके माध्यम से किसान इनपुट की खरीद कर सकते हैं।
14	ई-कैश के माध्यम से खरीदारी कैसे होगी ?	इनपुट खरीदने का लिए किसान अपना पंजीकरण संख्या विक्रेता को देंगे। विक्रेता पंजीकरण संख्या के माध्यम से OTP किसान के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। किसान OTP विक्रेता को बताएंगे और खरीदारी कर सकेंगे। खरीदारी के बाद किसान के मोबाइल पर SMS के माध्यम से ई-कैश का BALANCE बताया जाएगा और खरीद की जानकारी भी दी जाएगी।

15	किसी अन्य समस्या के लिए किसान क्या करें	टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर डायल करें।
ई-कैश से संबंधित		
16	मैं अपना पासवर्ड भूल गया। मैं इसे कैसे रीसेट/ठीक करूं?	आप लॉगिन बॉक्स के नीचे उपलब्ध पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। कृपया अपनी मर्चेट आईडी दर्ज करें और "मैं रोबोट नहीं हूँ" पर क्लिक करें। सिस्टम जांच करेगा कि क्या आपकी व्यापारी आईडी मान्य है या नहीं। यदि यह मान्य है, तो यह हमारे साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज देगा।
17	मैं लेनदेन सूची कैसे देखूं?	आप सफल लेनदेन, विफल लेनदेन और धनवापसी लेनदेन में लॉगिन और नेविगेट कर सकते हैं।
18	मैं धनवापसी कैसे शुरू करूं?	आप धनवापसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए "धनवापसी शुरू करें" पर नेविगेट कर सकते हैं। उस पृष्ठ पर, कृपया धनवापसी के लिए लेनदेन का चयन करें। एक बार धनवापसी शुरू करने के बाद, किसान को धनवापसी को मंजूरी देने के लिए एक ओटीपी प्राप्त होगा। अगर किसान को रिफंड ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप पुनः भेजने के लिए ओटीपी को फिर से भेज सकते हैं। एक बार जब किसान ओटीपी साझा करता है, तो कृपया ओटीपी दर्ज करें और सबमिट दबाएं। लेन-देन आपके साथ और किसान को एक SMS पुष्टिकरण प्राप्त करने के साथ उलट दिया जाएगा।
19	मैं अपने बैंक क्रेडिट की जांच कैसे करूं?	आप यूआरएन नंबरों के साथ अपने बैंक खाते में डेट वार क्रेडिट देखने के लिए पेआउट इतिहास पर नेविगेट कर सकते हैं। यूआरएन नंबर बैंक उत्पन्न संदर्भ संख्या हैं जिनका उपयोग आपके बैंक खाते में क्रेडिट ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।

20	मुझे एक एसएमएस मिला जिसमें उल्लेख किया गया कि एक सीमा सौंपा गया है। मैं सीमा का उपयोग कैसे करूं?	विभाग ने सब्सिडी सीमा दी है ताकि आप बीज और अन्य उत्पादों को खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। आप इसे निकटतम अनुमोदित व्यापारी पर खरीद सकते हैं।
21	मैं अपनी वर्तमान सीमा कैसे प्राप्त करूं?	आप हमें अपनी वर्तमान सीमा प्राप्त करने के लिए बुला सकते हैं। इसके अलावा, हर सफल लेनदेन पर, आपको एसएमएस में भी आपकी वर्तमान सीमा मिल जाएगी।